न्यायालय:-अतिरिक्त मोटर दुघर्टना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड म०प्र0

प्रकरण क्रमांक 21 / 14 क्लेम

1—श्रीमती ववलीबाई पत्नी कमलिकशोर आयु 35 साल 2—कमलिकशोर पुत्र श्री श्यामलाल आयु 38 साल निवासीगण वार्ड नं018 स्टेशन रोड गुरूद्वारे के पास गोहद चौराहा परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

------आवेदकगण

बनाम

1—श्यामवीर सिंह पुत्र मानसिंह वघेल आयु 27 साल निवासी नया वेला पोस्ट पछाये गांव थाना बडपुरा जिला इटावा उ०प्र0 2—आशीष कुमारसिंह पुत्र रामवहादुर सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट उदी जिला इटावा उ०प्र0 3—मेगमा एच0डी0आई0 जनरल इंश्योरेन्स कंपनी निवासी गामा हाउस 24 पार्क स्थ्रीट कलकता पश्चिम बंगाल

-----अनावेदक गण

आवेदक द्वारा श्री एस०एस०तोमर अधिवक्ता अनावेदक कं०१,२ द्वारा श्री के०के०शुक्ला अधिवक्ता अनावेदक कं०३ द्वारा श्री एन०एस०तोमर अधिवक्ता

/ /अधि—निर्णय / / / /आज दिनांक को घोषित किया गया / /

- 1— आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 166 एवं 140 मोटरयान अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें आवेदकगण ने द्रक क्रमांक यू0पी075 एम 4436 के स्वामी चालक एवं बीमा कंपनी के विरुद्ध उक्त दुघर्टना में उनके पुत्र राहुल उर्फ छुन्ना की मृत्यु हो जाने के आधार पर 1800000/— रूपये एवं ब्याज दिलाये जाने वाबत् क्षतिपूर्ति आवेदनपत्र पेश किया गया है ।
- 2— यह अविवादित है कि वाहन क्रमांक यू०पी०७७एम ४४३६ का चालक अनावेदक क्रमांक—1 है तथा उक्त वाहन का स्वामी अनावेदक क्रमांक—2 है ।
- 3— आवेदकगण का आवेदनपत्र संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 18—1—04 को आवेदकगण का पुत्र राहुल उर्फ छुन्ना ग्राम हरगोविंद पुरा से दूध लेकर लोट रहा था । पैदल पैदल भिण्ड ग्वालियर

हाईवे पर अपने बांये हाथ तरफ सडक के किनारे गोहद चौराहे की तरफ आ रहा था तभी हरगोविंद पुरा के पास द्रक यू0पी0 कमांक 75एम04436 का चालक अपने द्रक को भिण्ड की तरफ से तेजी व लापरवाही से चलाकर ला रहा था और उसने वाहन को टककर मार दी जिससे वह गिर पड़ा और उसके उपर से द्रक का पिहया निकल गया । उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी। उक्त दुघर्टना की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद में की गयी जिस पर अप0कं0 8/14 धारा 304ए भा0द0सं0 का पंजीबद्ध किया गया । वाहन की जप्ती की गयी । अनावेदक क्रमांक—1 को गिरफतार किया गया । पुलिस थाना गोहद चौराहा के द्वारा अनुसंधान कर अनावेदक क्रमांक—1 के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया ।

- 4— आवेदकगण ने अपने आवेदनपत्र में यह भी बताया है कि आवेदिका क्रमांक—1 मृतक की मां है तथा क्रमांक—2 उसके पिता हैं जो मृतक के वैध उत्तराधिकारी एवं वारिस हैं एवं उस पर उनकी आश्रितता थी । दुघर्टना के समय मृतक राहुल उर्फ छुन्ना 16 वर्ष का नवयुवक होकर विस्कुट, ब्रेड एवं खाने पीने का सामान बेचता था और 200 / —रूपये प्रतिदिन आमदनी अर्जित कर लेता था जिससे कि आवेदकगण का भरण पोषण होता था । यदि राहुल उर्फ छुन्ना की आकरिमक मृत्यु नहीं होती तो भविष्य में बेकरी की दुकान खोलता जिससे 15—20 हजार रूपये आय अर्जित कर सकता था । उक्त आय से भी आवेदकगण बंचित हो गये हैं । इसके अतिरिक्त दुघर्टना में आकरिमक मृत्यु हो जाने से उन्हें शारीरिक एवं मानसिक कष्ट पहुंचा है और पुत्र की मृत्यु हो जाने से सम्पूर्ण जीवन कष्ट में रहेगा । उसके लाड प्यार और स्नेह से वह बंचित हो गये हैं । मृतक का अन्तिम संस्कार उनके द्वारा किया गया है । ऐसी दशा में सभी मदों में अठारह लाख रूपये क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का निवेदन किया गया है ।
- 5— अनावेदक क्रमांक—1 व 2 ने अपने जवाब में स्वींकृत तथ्य के अतिरिक्त आवेदक के आवेदनपत्र के शेष अभिकथनों को इन्कार करते हुये बताया है कि उनके वाहन से किसी प्रकार की कोई दुघर्टना नहीं हुयी । उक्त वाहन को गलत रूप से घटना में लिप्त किया गया है और अनावेदक क्रमांक—1 के विरूद्ध झूठा मामला बनाया गया है । ऐसी स्थिति में अनावेदक क्रमांक—1 व 2 का प्रतिकर अदायगी का कोई दायित्व नहीं है ।
- 6— अनावेदक क्रमांक—3 बीमा कंपनी ने भी आवेदकगण के आवेदनपत्र के अभिकथनों को इन्कार करते हुये मृतक की उम्र 16 वर्ष की होकर 200 / —रूपये प्रतिदिन विस्कुट, ब्रेड और अन्य सामान बेचकर कमा लेने की बात से इन्कार किया है । आवेदकगण मृतक की आय पर किसी प्रकार से आश्रित होने से भी इन्कार किया है तथा यह भी बताया है कि मात्र आपराधिक प्रकरण कायम होने से आवेदकगण को कोई वैधानिक लाभ प्राप्त नहीं होता । इसके अतिरिक्त बीमा कंपनी के द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि वाहन द्रक क्रमांक यू0पी075एम 4436 उसके चालक अनावेदक क्रमांक—2 के द्वारा बिना बैध एवं प्रभावी द्वायविंग लायसेंस के बिना चलाया जा रहा था तथा उक्त वाहन का उपयोग बिना परिमट और फिटनेस के किया जा रहा था । जो कि बीमा पॉलिसी एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघ न होने से बीमा कंपनी का प्रतिकर अदायगी का कोई दायित्व नहीं है । ऐसी दशा में आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।
- 6— आवेदकपक्ष एवं अनावेदक पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी

है जिस पर निकाले गये निष्कर्ष उनके सामने अंकित किये जा रहे हैं।

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1-	क्या दिनांक 18—1—14 को भिण्ड ग्वालियर आम रोड पर हरगोविंद पुरा और गोहद चौराहा के बीच थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में अनावेदक क्रमांक —1 के द्वारा वाहन द्रक यू0पी075एम 4436 को तेजी व लापरवाही से चलांकर राहुल उर्फ छुन्ना कोटककर मारी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी ?	
2	क्या मृत्यु के समय मृतक विस्कुल और ब्रेड का सामान बेचकर 200 / – रूपये प्रतिदिन की आमदनी अर्जित कर लेता था ?	
3	क्या घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन द्रक यू०पी०७७एम 4436 का चालक उक्त वाहन को बैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस के बिना चला रहा था ? यदि हां तो प्रभाव ?	
4	क्या घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन द्रक परिमट एवं फिटनेस के बिना चलाया जा रहा था ? यदि हां तो प्रभाव ?	
5	क्या अनावेदकगण क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है ? यदि हां तो किस से एवं कितना ?	
6	सहायता एव व्यय ?	

//निष्कर्ष के आधार//

बिन्दु क्रमांक—1:— 7— वर्तमान बिन्दु को प्रमाणित करने का भार आवेदक पक्ष पर है । आवेदिका श्रीमती बबली आवेदिका साक्षी कं01 ने अपने शपथपत्र साक्ष्य कथन में बताया है कि दिनांक 18—1—14 को उसके पुत्र

का एक्सीडेंट हो गया था । उक्त दिनांक को उसका पुत्र भिण्ड ग्वालियर रोड पर ग्राम हरगोविंद पुरा से दूध लेकर लोटरहा था । जैसे ही हरगोविंद पुरा की पुलिया के पास भिण्ड की ओर से द्रक कमांक यू०पी०75एम 4436 के चालक ने द्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसके पुत्र को टककर मारदी जिससे उसके सिर के उपर से द्रक का पिहया निकल गया और घटना में उसकी मृत्यु हो गयी । आवेदिका के द्वारा आपराधिक प्रकरण से प्राप्त दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपि पेश की है । जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 1, नक्शा मौका प्र०पी० 2, संपत्ती जप्ती पत्रक प्र०पी० 3 व 4, शवपरीक्षण प्रतिवेदन प्र०पी० 5, गिरफतारी पंचनामा प्र०पी० 6 सुपुर्दगीनामा प्र०पी० 7 और अन्तिम प्रतिवेदन प्र०पी० 8 है पेश किये गये हैं ।

- 8— प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी के द्वारा इस बात को स्वीकार किया है कि जिस समय घटना घटी उस समय वह घर पर थी । घटना के बारे में उसे फोन से दुकान पर पता चला था । इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसे यह जानकारी नहीं है कि घटना किस वाहन से हुयी । इस सुझाव से इन्कार किया है कि द्रक क्रमांक यू0पी075एम 4436 से दुघर्टना घटित नहीं हुयी । निश्चित तौर से उक्त साक्षी घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी जो कि इस संबंध में उसके द्वारा किया गया कथन स्वभाविक है । उक्त साक्षिया को घटना के तुरन्त पश्चात् घटना के बारे में पता चल गया था और किस वाहन के द्वारा दुघर्टना घटित हुयी यह भी उसे पता चल गया था ।
- 9— आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी प्रदीप उर्फ गुडडू अग्रवाल जो कि घटना का प्रत्य क्षदर्शी साक्षी है तथा जिसके द्वारा घटना के तुरन्त पश्चात् घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गोहद चौराहा में लिखायी गयी है । उक्त साक्षी प्रदीप उर्फ गुडडू अग्रवाल के द्वारा भी शपथपर साक्ष्य कथन में बताया है कि घटना दिनांक को वह सुबह दूध लेने के लिये राहुल उर्फ छुन्ना के साथ दूध लेने हिरगोविंद पुरा गया था । जब भिण्ड ग्वालियर हाईवे पर हरगोविंद पुरा के पुलिया के पास पहुंचा । दोनों अपने बांये हाथ पर सडक के किनारे किनारे जा रहे थे तभी द्रक क्रमांकयू०पी075एम 4436 भिण्ड की ओर से उसका चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और राहुल उर्फ छुन्ना को टककर मारदी जिससे वह गिर पडा । उसके सिर से द्रक का पहिया निकल गया और उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी । उक्त दुघर्टना की रिपोर्ट थाना गोहद चौराहा पर पुलिस में की थी ।
- 10— उक्त साक्षी प्रदीप उर्फ गुडडू के कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहां तक प्रश्न है । उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई विपरीत तथ्य नहीं आये हैं । घटना दिनांक को मृतक राहुल उर्फ छुन्ना का उसके साथ दूध लेने जाना और इस दौरान प्रश्नाधीन द्रक के चालक के द्वारा द्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुघर्टना कारित कर राहुल उर्फ छुन्ना पर द्रक चढा देने की पुष्टि प्रतिपरीक्षण में आये कथनों से भी होती है । इस प्रकार उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसका कथन अखण्डनीय होना पाया जाता है । निश्चित तौर से उक्त साक्षी जो कि घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है और उसके द्वारा घटना की सूचना घटना के तुरन्त पश्चात् थाने में दी गयी है जिसमें कि स्पष्ट तौर से द्रक के कमांक का उल्लेख है एवं घटनाक्रम के संबंध में बताया गया है । उक्त साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होकर सर्वथा विश्वसनीय है ।
- 11- दुघर्टना घटित होने के तथ्य एवं दुघर्टना में मृतक राहुल उर्फ छुन्ना की मृत्यु होने की पुष्टि

आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों जो कि आपराधिक प्रकरण से प्राप्त दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपि हैं के आधार पर भी होती है । घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी01 जो कि घटना के तुरन्त पश्चात् बिना विलम्ब के स्पष्ट रूप से थाना गोहद चौराहा में द्रक के नम्बर का उल्लेख करते हुये दर्ज करायी गयी है । घटनास्थल का नक्शा मौका प्र0पी0 2 से भी स्पष्ट है कि मृतक सड़क के किनारे किनारे जा रहा था जहां पर कि उसे टककर मारी गयी है । पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र0पी05 से स्पष्ट है कि उसके शरीर पर आयी हुयी चोटों व आये हुये अस्थि भंग से आये हुये शॉक के कारण उसकी मृत्यु होना स्पष्ट है । घटना की विवेचना के दौरान वाहन के कागजातों एवं वाहन द्रक यू0पी075एम 4436 की जप्ती की गयी है । जो कि जप्ती पत्रक प्र0पी0 3 व 4 से स्पष्ट है तथा अनावेदक कमांक—1 की गिरफतारी प्र0पी06 के अनुसार की गयी है । उक्त वाहन को अनावेदक कमांक—2 के द्वारा सुपुर्दगीनाम पर लिया गया है जो कि सुपुर्दगीनामा प्र0पी0 7 है तथा आपराधिक प्रकरण में विवेचना उपरांत अनावेदक कमांक 1 के विरुद्ध अभियोगपत्र प्र0पी0 8 का पेश किया गया है । इस प्रकार आपराधिक प्रकरणों से संबंधित दस्तावेज भी दुघर्टना घटित होने एवं दुघर्टना में मृतक की मृत्यु हो जाने के तथ्य की पुष्टि करते हैं । 1—1 आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के प्रतिखण्डन में अनावेदक

12— आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के प्रतिखण्डन में अनावेदक पक्ष के द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गयी है । उनके द्वारा अनावेदक कं01,2 की दुघर्टना के समय प्रश्नाधीन द्रक के चालक के कथन भी नहीं कराये गये हैं जो कि इस तथ्य को प्रतिखण्डित करने के लिये सर्वोत्तम साक्षी हो सकता था ।

13— ऐसी दशा में आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का कोई प्रतिखण्डन नहीं हुआ है । आवेदक साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि घटना दिनांक को वाहन द्रक क्रमांक यू0पी075एम 4436 के चालक अनावेदक क्रमांक—1 के द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुघर्टना कारित की गयी जिसमें कि राहुल उर्फ छुन्ना की मृत्यु हुयी । तद्नुसार वर्तमान बिन्दु प्रमाणित होना पाते हुये उसका उत्तर "हां" में दिया जाता है ।

बिन्दू क्रमांक-2-

- 14— आवेदक पक्ष ने अपने अभिवचन में यह बताया है कि दुघर्टना के समय मृतक राहुल उर्फ छुन्ना बिस्कुट, ब्रेड एवं अन्य खाने पीने का सामान बेचकर 200/—रूपये प्रतिदिन की आमदनी अर्जित कर लेता था । इस बिन्दु पर आवेदिका श्रीमती ववली आवेदिका साक्षी क01 के द्वारा यह बताया गया है कि दुघर्टना के समय मृतक राहुल उर्फ छुन्ना की उम्र 16 वर्ष थी और वह गली मौहल्लों में बिस्कुट, ब्रेड एवं अन्य खाने पीने का सामान बेचता था जिससे वह 200 रूपये कमा लेता था ओर लाकर उसे देता था । जिससे उनका भरण पोषण होता था । इसी प्रकार का कथन साक्षी प्रदीप उर्फ गुड़डी अग्रवाल साक्षी कं02 के द्वारा मुख्य परीक्षण की कण्डिका —2 में किया गया है ।
- 15— मृत्यु के समय मृतक छुन्ना उर्फ राहुल की उम्र का जहां तक प्रश्न है इस संबंध में आवेदिका के द्वारा आवेदनपत्र में अपने अभिवचन व साक्ष्य कथन में उसकी उम्र 16 वर्ष होनी बतायी गयी है किन्तु मृतक की उम्र दुघर्टना के समय 16 वर्ष की होने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण आवेदक पक्ष के द्वारा पेश नहीं किया है । जबिक उम्र के संबंध में आवेदक पक्ष दस्तावेजी प्रमाण पेश कर सकता था जिससे कि मृतक की सही उम्र का आंकलन किया जा सकता था । इस संबंध में यह अवलोकनीय है

कि घटना के संबंध में जो शवपरीक्षण आवेदनपत्र तथा शवपरीक्षण रिपोर्ट प्र0पी० 5 आवेदक पक्ष की ओर से पेश की गयी है उसमें मृतक की उम्र 14 वर्ष की होनी बतायी गयी है । ऐसी दशा मे जबिक मृतक की उम्र के संबंध में आवेदकपक्ष के द्वारा कोई भी उम्र के दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं । पोस्टमार्टम हेतु आवेदनपत्र एवं पोस्टमार्टम रिपीर्ट में मृतक की उम्र 14 वर्ष होना उल्लेखित है । मृत्यु के समय मृतक की उम्र 14 वर्ष होना अवधारित की जाती है ।

16— मृतक राहुल उर्फ छुन्ना के द्वारा 200 रूपये प्रतिदिन विस्कुट, ब्रेड व अन्य सामान बेचकर अर्जित किये जाने के संबंध में भी आवेदक पक्ष के द्वारा कोई भी ऐसा प्रमाण या दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे कि वह ब्रेड लेकर बेचता हो और ब्रेड व अन्य चीज बेचकर कोई आमदनी अर्जित कर लेता हो । साधारणतः एक 14 वर्ष का बालक जो कि करबे में रहता है एवं ब्रेड आदि बेचने का समय साधारणतः सुबह का ही रहता है और सुबह के सात बजे वह दूध लेने गया था जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से स्पष्ट है । ऐसी दशा में ब्रेड, बिस्कुट बेकरी व अन्य खाने का सामान बेचकर 200 रूपये प्रतिदिन आमदनी अर्जित करना प्रमाणित नहीं पाया जाता । तद्नुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "नहीं " में दिया जाता है ।

बिन्दु क्रमांक 3,4:-

17— उक्त दोनों बिन्दुओं को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक—3 बीमा कंपनी पर है जिसके द्वारा अपने अभिवचन में यह आधार लिया गया है कि घटना दिनांक को वाहन द्रक क्रमांक यू0पी075एम 4436 को उसके चालक के द्वारा बैध एवं प्रभावी द्वायविंग लायसेंस के बिना चलाया जा रहा था तथा उक्त वाहन परिनट व फिटनेस के बिना चलाया जा रहा था जिससे कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का एवं मोटरयान अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है । अनावेदक क्रमांक—3 बीमा कंपनी के द्वारा उक्त बिन्दुओं पर कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गयी है । ऐसी दशा में जबिक उक्त बिन्दुओं को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक—3 पर था उसके द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश न करने के कारण उपरोक्त बिन्दु प्रमाणित नहीं पाया जाता । तद्नुसार उक्त बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है ।

बिन्दु क्रमांक-5:-

18— प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना एवं वाद प्रश्नों पर निकाले गये निष्कर्ष से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक—1 के द्वारा प्रश्नाधीन वाहन द्रक यू०पी०७७एम ४४३६ को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुये मृतक राहुल उर्फ छुन्ना को टककर मारी जिससे उसकी मृत्यु दुघर्टना में हुयी है । आवेदकगण मृतक छुन्ना उर्फ राहुल के माता पिता होकर उसके बारिस हैं । उपरोक्त द्रक अनावेदक क्रमांक—1 के द्वारा घटना के समय चलाया जा रहा था जो कि उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक—2 के स्वामित्व का था । उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक—3 बीमा कंपनी के यहां बीमित होना आवेदक के द्वारा बताया गया है तथा बीमा कंपनी के द्वारा इसका कोई प्रतिकार भी नहीं किया गया है कि वाहन उनकी कंपनी में घटना दिनांक को बीमित नहीं था । वाहन बीमित होने के संबंध में बीमा की फोटो कोपी भी अभिलेख के साथ संलग्न है । ऐसी दशा में उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक—3 बीमा कंपनी के यहां घटना दिनांक को बीमित था ।

19— मृतक राहुल उर्फ छुन्ना की मृत्यु के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले प्रतिकर की राशि का जहां तक प्रश्न है मृतक छुन्ना उर्फ राहुल 14 साल का बालक है जो कि पूर्ववर्ती विवेचना में स्पष्ट हुआ है । बालकों के मृत्यु के बारे में उसकी मृत्यु के समय आय तथा उसकी भविष्य की क्या संभावनायें हैं इन सभी के बार में अनिश्चितता रहती है । ऐसी दशा में अनिश्चितताओं के कारण उक्त संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता । जैसा कि इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतेन्द्र वगैराह टी०ए०सी० 2001(1) पेज 11 में माना गया है । उक्त परिप्रेक्ष्य में जबिक बालक मृत्यु के समय आय अर्जित करने वाला सदस्य नहीं था । ऐसी दशा में notional income ds vk/kkj ij {kfriwfrZ dh jkf'k fu/kkZfjr dh tk;sxh A notional income के आधार पर 15000 / –रूपये वार्षिक आमदनी मानते हुये आश्रितता के मद् में उक्त राशि का 2/3 भाग का नुक्सान जो कि 10000/— रूपये होते हैं मानते हुये उस पर 15 का गुणंक लगाया जाना उचित होगा । इस प्रकार आश्रितता के नुक्सान के मद् में 150000/- प्रतिकर दिलाया जाना उचित होगा । इसके अतिरिक्त मृतक से प्राप्त होने वाले प्यार, स्नेह और संरक्षण एवं अन्तिम संस्कार तथा अन्य मदों में 40000 / –रूपये प्रतिकर दिलाया जाना उचित होगा । इस प्रकार कुल प्रतिकर की राशि 190000 / – एक लाख नब्बे हजार रूपये दिलाया जाना समुचित एवं उचित प्रतिकर होगा । उक्त राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से बसूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी आवेदकगण पाने के अधिकारी होंगे ।

20— उक्त प्रतिकर की राशि का अदायगी का जहां तक प्रश्न है दुघर्टना के समय अनावेदक कमांक—1 के द्वारा वाहन चलाया जा रहा था जो कि अनावेदक कमांक—2 के स्वामित्व का था तथा अनावेदक कमांक—3 बीमा कंपनी के यहां बीमित था । उक्त वाहन के उपयोग के दौरान हुयी दुघटना के फलस्वरूप प्रतिकर अदायगी का दायित्व अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 पर संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से होगा । तद्नुसार वर्तमान वाद प्रश्न का निराकरण कर आवेदकगण 190000/— रूपये एवं उस पर ब्याज प्रतिकर स्वरूप अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 से पाने के हकदार हैं ऐसा अवधारित किया जाता है ।

सहायता एवं व्यय:-

21— सम्पूर्ण विवेचना एवं विष्लेषण उपरांत वाद प्रश्नों पर निकाले गये निष्कर्षों के उपरांत आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत क्षतिपूर्ति आवेदनपत्र आंशिक रूप से प्रमाणित होना पाते हुये इस संबंध में निम्न आशय का अवार्ड पारित किया जाता है :--

1—आवेदकगण अनावेदक कं01 लगायत 3 से संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से प्रतिकर स्वरूप 190000 / –रूपये प्राप्त करने का अधिकारी हैं ?

2—आवेदकगण उक्त राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से बसूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज पाने के भी अधिकारी होंगे ।

3—उक्त राशि जमा होने पर आवेदकगण उक्त राशि बराबर बराबर भाग प्राप्त करने के अधिकारी होंगे । उनको प्राप्त होने वाली राशि का 60 प्रतिशत भाग 5 वर्ष की अवधि के लिये उनके सावधि खाते में जमा किया जाये एवं शेष राशि बचत खाते के माध्यम से उन्हें नगद भुगतान की जाये ।

4—अभिभाषक शुल्क 1000 / —रूपये निर्धारित कियाजाता है । तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये ।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल) अति०मोटर दुघर्टना दावा अधि० गोहद जिला भिण्ड (डी०सी०थपलियाल) अति०मोटर दुघर्टना दावा अधि० गोहद जिला भिण्ड